एस.एस. निज्जर और जे.एस. नारंग, जे जे.के समक्ष

डॉ. मनमोहन सिंह चौहान और अन्य *-याचिकाकर्ता*

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और अन्य-*उत्तरदाताओं*

C.W.P. न. 5816 ऑफ 2001

4 दिसंबर, 2004

भारत का संविधान, 1950 – अनुच्छेद 226 – अधिसूचना दिनांक 24 दिसंबर, 1998 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी –पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पात्र पाठकों से प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करे गए –8 साल की सेवा पूरी करने पर पाठक प्रोफेसर के पद के लिए पात्र हो जाता है– 24 दिसंबर, 1998 की अधिसूचना का पैरा 8 कहता है कि किसी भी विश्वविद्यालय में पिछली बिना किसी विराम की सेवा से सीनियर स्केल / चयन ग्रेड पर लेक्चरर की नियुक्ति के लिए पात्र हो जाता है– विश्वविद्यालय का प्रस्ताव कि 23 जनवरी,2003 से पहले पिछले विश्वविद्यालयों / संगठनों में पाठकों की सेवा / अनुभव की गिनती को नहीं गिना जाएगा, यह तारीख जब यूजीसी ने निर्णय लिया था कि किसी भी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / कॉलेज में की गई सेवा / अनुभव को गिना जाएगा –दिनांक 30 अप्रैल, 2004 को सिंडिकेट द्वारा संकल्प पारित किया गया कि किसी भी अन्य विश्वविद्यालय / संगठन में प्रदान की गई पिछली सेवा को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा – विश्वविद्यालय का स्टैंड कि इसे 23 जनवरी, 2003 से गिना जाना चाहिए, यह मान्य नहीं है – याचिकाकर्ता को प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति का पात्र होने के लिए,उनकी विभिन्न विश्वविद्यालयों/ संगठन में रीडर आदि के रूप में प्रदान की गई पिछली सेवा की गिनती की जाएगी – याचिका को अनुमति दी गई।

अभिनिर्धारित, याचिकाकर्ता पिछली पाठक आदि के रूप में की गई सेवा के लाभ के हकदार हैं और परिणामस्वरूप रीडर से प्रोफेसर के चयन / पदोन्नति के लिए और तदनुसार वेतन के निर्धारण के हकदार भी होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह विचार जो परिपत्र के पैरा 8 में व्यक्त किया गया है उसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से, 30 अप्रैल, 2004 को अभिनिर्धारित बैठक में सिंडिकेट द्वारा पारित संकल्प कि रीडर से प्रोफेसर तक पदोन्नति के लिए, पिछली सेवा की गिनती के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है की,

दावेदारों द्वारा किसी भी अन्य विश्वविद्यालय / संगठन में प्रदान की गई पिछली सेवा गिनी जाएगी। वह स्टैंड कि 23 जनवरी, 2003 से ही प्रभावी होगी,यह मान्य नहीं है। यह दृष्टिकोण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्टैंड पर आधारित है जो पैरा 8 की सामग्री के अनुसार, बिना कोई ब्रेक वाली पिछली सेवा को गिनता है। यह देखा जा सकता है कि यद्यपि 'रीडर' शब्द का उल्लेख कहीं नहीं मिला, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वाइड पत्र दिसंबर, 2000 में जारी किए अपने जवाब द्वारा उसे स्पष्ट किया है।

(पैरा 20)

आगे अभिनिर्धारित,*यहाँ कहीं भी यूनिवर्सिटी* का स्टैंड यह नहीं कहता की प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए, उस 8 साल का अनुभव उसी विश्वविद्यालय में होना चाहिए। पाठक के रूप में अनुभव पर ज्यादा जोर दिया गया और उक्त शिक्षण अनुभव कहीं भी प्रदान की जा सकती है। पैरा 8 में एक विशेष संदर्भ पर जोर दिया गया है कि शिक्षण का अनुभव जरूरी है न कि स्थान।

(पैरा 23)

पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, साथ टी.पी.एस. चावला, एडवोकेट,
याचिकाकर्ताओं के लिए

विक्रांत शर्मा, एडवोकेट, *उत्तरदाता न. 1 और 2 के लिए*

अतुल नेहरा, वकील, विश्वविद्यालय के लिए।

निर्णय

जे.एस. नारंग, जे.

(1) यह निर्णय दोनों याचिकाओं का निपटान करेगा अर्थात्. 2001 की सी.डब्ल्यू.पी 5816 और 5036, जिनके मुद्दे एक समान है यानी, याचिकाकर्ताओं ने क्रमशः अपनी पिछली सेवाओं के लाभों का दावा किया है।

(2) संक्षिप्तता के लिए, तथ्यों को 2001 की सीडब्ल्यूपी 5816 से लिया जा रहा है। हालाँकि, यदि 2001 के सीडब्ल्यूपी 5036 में याचिकाकर्ता के बारे में किसी तथ्य को संदर्भित करने की आवश्यकता पड़ी, तो उसे उस पड़ाव पर प्रासंग से संदर्भित किया जाएगा।

(3) याचिकाकर्ता नंबर 1 को वर्ष 1988 में जर्मन भाषा में व्याख्याता के रूप में रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की के मानविकी और सामाजिक विभाग में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1992 में इसी विषय में,पाठक के रूप में, 3700-5700 / - के वेतन पर बड़ौदा विश्वविद्यालय में नियुक्ति की मांग की थी। 1993 में, पंजाब विश्वविद्यालय - प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जारी एक विज्ञापन उसके समक्ष आया।1995 में, उसे रीडर के रूप में नियुक्त किया गया था।

(4) वर्ष 1994 में याचिकाकर्ता न. 2 को रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में चुना गया था और उसने 1 अगस्त, 1994 को प्रतिवादी न.1 को सं. वेतनमान में 1 3700-4500 / - में शामिल किया। 21 जनवरी, 1994 को उसे 3700-5700 / - के वेतन पर पाठक के पद पर चुना गया था।

(5) 2001 के सीडब्ल्यूपी 5036 का याचिकाकर्ता 29 अगस्त, 1988 को प्रोफेसर के रूप में बुनियादी विज्ञान विभाग में जैव रसायन का विषय वाई.एस. सोलन में परमार विश्वविद्यालय (एच.पी.) नियुक्त किया गया था। उक्त पद का पैमाना 3700-5700 / - रुपये. था। यह भी दावा किया गया है कि उक्त पद पाठक के पद के समतुल्य है। उसके सामने पूर्वोक्त वेतनमान पर, पंजाब विश्वविद्यालय,चंडीगढ़, के जैव-रसायन विभाग में रीडर के पद का विज्ञापन आया। उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और अत्ततः चुना गया। 25 अप्रैल, 1997 को नियुक्ति पत्र आया, उसने 27 मई, 1997 को उक्त पद पर शामिल हो गया। उसे रीडर के रूप में पुष्टि दी गई, - वाइड ऑर्डर दिनांक 17 मार्च, 1999 जो सेवा के एक वर्ष पूरा होने के बाद 27 मई, 1988 को लागू में आएगी।

(6) वर्ष 1998 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसार, शिक्षण कर्मियों और पंजाब अनवर्सिटी के शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित किया गया था। फलस्वरूप, 20 फरवरी, 1999 की *वाइड* अधिसूचना, वेतनमान संशोधित किए गए थे। परिणामस्वरूप, 3700-5700 / - का वेतनमान 12,000-18,300 /- से संशोधित किया गया। हालांकि, उपरोक्त याचिकाकर्ताओं को तदनुसार पैमाने पर नहीं रखा गया था। प्रतिक्रियाशील अभ्यावेदन सक्षम अधिकारियों को दायर किए गए थे।

(7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार, "कैरियर उन्नति योजना "जिसे पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत अपनाया गया था, वाइड सर्कुलर 4 मई, 1999 और 22 अगस्त, 2000 को पाठक

8 साल रीडर के रूप में की गई सेवा पूरा होने पर प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र बन गए। सितंबर,2000 में, पूर्वोक्त परिपत्र के अनुसार, प्रतिवादी-विश्वविद्यालय ने पात्र पाठकों से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए आवेदन आमंत्रित किए।

(8) इसके जवाब में, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिकाएं विभागों में प्रस्तुत की। उनकी पिछली संबंधित नौकरियों में पाठक के रूप का अनुभव भी गिना गया था। यह ध्यान रखना उचित होगा कि याचिकाकर्ता न.2 ने याचिका में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रतिवादी न.3 से यह स्पष्टीकरण मांगा कि क्या पिछली व्याख्याताओं/पाठकों की सेवा प्रोफेसर के उच्च पद के चयन के लिए गिनी जाएगी। 10 मई,2000 का संचार (कॉपी अनुलग्नक पी-12) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त किया गया था। यह उसी के अंश के रूप में पढ़ जाता है कि: –

"विषय: पिछली सेवा की गिनती पर निर्णय।

महोदय,

1मार्च,2000 को आपके पत्र सं.8582 के संदर्भ में,एक विश्वविद्यालय से दूसरे में कैरियर सलाह योजना के तहत पलायन करने वाले शिक्षकों के मामले में स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप यूजीसी अधिसूचना सं.एफ.3-1/94(पीएस)24दिसंबर,1998 के पैरा 8,आत्म व्याख्यात्मक का संदर्भ लें।

आपका विश्वासपात्र,
(एसडी।)...,

(श्रीमती कुलवंत कालरा)
अनुभाग अधिकारी

(9) यूजीसी अधिसूचना सं. एफ. 3-1/94 (पीएस) दिनांक 24दिसंबर, 1998 के पैरा 8 के ऊपर निर्भर हो कर, पुन: याचिका में प्रस्तुत किया गया है और यह पढ़ा जाता है कि :--

"8.00 सेवा की गिनती पिछली सेवा, बिना कोई विराम अधिकारी या समकक्ष के रूप में किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज, राष्ट्रीय प्रयोगशाला, या अन्य वैज्ञानिक

संगठन उदा. CSIR, ICAR, DRDO, UGC ICSSR, ICHR,
और एक यूजीसी रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में,वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड में व्याख्याता की नियुक्ति के लिए गिनी जानी चाहिए"

(10) यह औसत किया गया है कि पूर्वोक्त पैरा स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पिछली सेवा,बिना कोई विराम,अधिकारी या समकक्ष के रूप में किसी विश्वविद्यालय,कॉलेज,राष्ट्रीय प्रयोगशाला, या अन्य वैज्ञानिक संगठन (जो पैरा में दी है)वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड में व्याख्याता की नियुक्ति के लिए गिनी जानी चाहिए।

(11) शायद प्रतिवादी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्पष्टीकरण की मांग की और कुछ हद तक इसी तरह अधिक व्याख्यात्मक उत्तर प्राप्त हुआ,वाइड दिसंबर,2000 का संचार(कॉपी अनुलग्नक पी-13),जिनमें अंश पढ़ता है:-

"एफ। 2-5 /
200(पीएस) श्री.
आर.पी. बेदी,

रजिस्ट्रार,
पंजाब विश्वविद्यालय,
चंडीगढ़ -160 014

महोदय,

आपके पत्र सं. 11476/Esstt. 1, 29सितंबर,2000 को ऊपर उद्धृत विषय पर, मुझे निर्देशित किया गया है कि मैं UGC अधिसूचना पी.3-1/94(PS) सं. के पैरा 8.00 को संदर्भित करूँ, जो स्वयं व्याख्यात्मक है। यह भी बताया गया है कि अवलंबी को प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए, वेतनमान.3700-5700/-(पूर्व-संशोधित)/रु.12,000-18,300(संशोधित) में रीडर के रूप में 8साल का सेवा अनुभव होना चाहिए।

आपका विश्वासपात्र,
(एसडी।)...,

(नाराय सिंह)

Encl./सचिव के रूप में।

को कॉपी करें:

डॉ.सी.एस.औलख,भौतिकी विभाग,पंजाब विश्वविद्यालय,चंडीगढ़,160014 अपने पत्र 15सितंबर,2000 के संदर्भ में।

(एसडी।)...,

(के.सी.मलरूर)
अनुभाग अधिकारी"

(12)यह स्पष्ट हो गया कि प्रोफेसर के पद के लिए हकदार वह है जिसने 8 साल रीडर के रूप में वेतनमान में सेवा/अनुभव.3,700-5,700(पूर्व संशोधित) या रु12,000-18,300(संशोधित)में काम किया था। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा अनुभव एक विशेष विश्वविद्यालय से होना चाहिए।यह देखा जा सकता है कि याचिका में याचिकाकर्ता न.1 और 2 के विभिन्न संगठनों/विश्वविद्यालयों में वेतन पाठक की सेवा के अनुसार तय नहीं किए गए है। इस संबंध में भी वर्तमान याचिका में उनके द्वारा राहत मांगी गई है।

(13)नोटिस की सूचना जारी की गई–वाइड ऑर्डर 24अप्रैल,2001।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रतिवादी न.3–द्वारा एक संक्षिप्त उत्तर दायर किया गया। हालांकि, अवसर दिए जाने के बावजूद,उत्तरदाता द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। विश्वविद्यालय के वकील ने सिंडिकेट द्वारा पारित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जो 30अप्रैल,2004 को अभिनिर्धारित बैठक में लिया गया था।जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया और "C-1" के रूप में चिह्नित है"।जिसके अंश के रूप में पढ़ता है:–

"पंजाब विश्वविद्यालय(चंडीगढ़)पैरा15 की कॉपी जो सिंडिकेट की 30अप्रैल,2004 को अभिनिर्धारित बैठक से ली गई है।

15. माना और

हल:पत्र सं.एफ.2-5/2000(पीएस)13मार्च,2003(फिर से उत्पादित)विश्वविद्यालय से अनुदान आयोग,नई दिल्ली, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत रीडर से प्रोफेसर तक पदोन्नति के लिए अतीत की सेवा की गिनती,प्रभावी ढंग से 23जनवरी,2003 यानी यूजीसी की तारीख को अपनाए।

(14) 23 जनवरी,2003 को आयोग बैठक में,रीडर से प्रोफेसर तक पदोन्नति के लिए पिछली सेवा की गिनती के लिए दिशानिर्देशों पर विचार किया और तय किया कि रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर (वेतन के पैमाने3,700-5,700 या संशोधित रु12,000-18,300 पिछली सेवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए गिना जाता है।"

(15) दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के वकील ने 13 मार्च,2003संबोधित एक संचार को न्यायालय में उत्पादित किया,जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को सूची के अनुसार भेजा। उसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है और"C-2"के रूप में चिह्नित किया गया"।जिसके अंश के रूप में पढ़ता है:–

"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बाहदुर शाह जफर मार्ग

नई दिल्ली -110 002

एफ. 2-5/2000 (पीएस) 13 मार्च 2003

रजिस्ट्रार,

(सभी विश्वविद्यालय)

(संलग्न सूची के अनुसार)

विषय: कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत रीडर से प्रोफेसर तक की पदोन्नति के लिए पिछली सेवा की गिनती के दिशानिर्देश।

महोदय/महोदया

23जनवरी,2003 को हुई आयोग बैठक में,आयोग बैठक में,रीडर से प्रोफेसर तक पदोन्नति के लिए पिछली सेवा की गिनती के लिए दिशानिर्देशों पर विचार कर तय किया कि रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर (वेतन के पैमाने 3,700-5,700 या संशोधित रु12,000-18,300पिछली सेवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए गिना जाता।

यह आपकी जानकारी और उपयुक्त कार्यवाही के लिए है।

आपका विश्वासपात्र

डॉ. (श्रीमती) पंकज मित्तल,
संयुक्त सचिव"

(16) हालाँकि, 13मार्च और 27मई,2003 के पत्रों को दबाने के लिए 23सितंबर,2003 को एक संचार जारी किया गया,उसे भी पेश किया गया,जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया और"C-3"के रूप में चिह्नित है"।जिसके अंश के तहत पढ़ता है

"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बाहदुर शाह जफर मार्ग

नई दिल्ली -110 002

नहीं. एफ. 2-5/2000 (पीएस) सितंबर, 2003

रजिस्ट्रार,

(सभी विश्वविद्यालय)

संलग्न सूची के अनुसार

विषय: कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत रीडर से प्रोफेसर तक की पदोन्नति के लिए पिछली सेवा की गिनती के दिशानिर्देश।

महोदय/महोदया,

यह इस कार्यालय के पत्र सं.एफ.2-5/2000(पीएस)13मार्च और27मई,2003(प्रतियां संलग्न)के विषय पर,मुझे सूचित करने के लिए निर्देशित किया कि योजना के तहत पाठक से प्रोफेसर पदोन्नति के लिए पिछली सेवा गिनी जाए।वृत्ताकार उपरोक्त उद्धृत को वापस लिया गया है।

आपका विश्वासपात्र,

(ए.के. डोगरा),
संयुक्त सचिव"

(17) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर ध्यान देना उचित होगा। संक्षिप्त हलफनामे में 29मार्च,2003 प्रासंगिक पैरा के तहत पढ़ा:–

"3. उत्तर देनेवाले प्रतिवादी ने इस मुद्दे पर 5 और 25जून,2002 को हुई अपनी बैठक में विचार किया और पिछले की गिनती के लिए निर्देश तैयार किए और उन्हे स्वीकृति के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भेजा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पुनर्विचार के लिए फिर से है इस मुद्दे को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वापस भेज दिया।

4. इस बीच, आयोग ने अपनी 23 जनवरी, 2003 की बैठक में इस मुद्दे को मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई टिपनी को देखते हुए पुनर्विचार किया। आयोग ने हल किया, रीडर / एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में किसी भी विश्वविद्यालय / कॉलेज में प्रदान वेतन के पैमाने 3,700-5,700 या संशोधित रु 12,000-18,300 की सेवाएं प्रोफेसर के पदोन्नति के लिए गिनी जाएंगी। कैरियर अग्रिम योजना के तहत पदोन्नति के लिए अन्य समकक्ष ग्रेड *के रूप में* पिछली सेवाओं की गिनती के बारे में फिर से विचार किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आयोग के निर्णय को प्रसारित करने जा रहा है।

उपरोक्त के मद्देनजर, यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान रिट याचिका को तदनुसार निपटाया जाए। "

(18) याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि 30 अप्रैल, 2004 को सिंडिकेट की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बावजूद विश्वविद्यालय 23 जनवरी, 2003 से पहले पिछले विश्वविद्यालयों में रीडर के रूप में याचिकाकर्ताओं का अनुभव/ परिसर सेवा की गिनती नहीं कर रहे है, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त तारीख पर निर्णय लिया था। यह कहा गया की उक्त निर्णय इस तारीख को लिया और अपनाया गया इसलिए, राहत केवल अब से दी जाएगी। यह तर्क दिया गया है कि वास्तव में, याचिकाकर्ताओं द्वारा रीडर के रूप में प्रदान की गई सेवा के संबंध में दी गई पूर्वोक्त तिथि से पहले राहत होनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राय यह है कि पैरा 8 (ऊपर यहां संदर्भित) के अनुसार परिपत्र, रीडर के रूप में पिछली सेवा को गिना जाना चाहिए, चाहे उसने किसी भी विश्वविद्यालय / संगठन में सेवा की हो सकती है।

(19) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के वकील ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रतिवादी न. 1 के सिंडिकेट द्वारा पारित किए गए संकल्प के अनुसार, 23 जनवरी, 2003 से पिछली सेवा को गिना जाना चाहिए। इसी तरह, पैमाने को ठीक करने के उद्देश्यों के लिए उक्त सेवा को गिना जाना चाहिए।

(20) हमने दोनों पक्षों के वकीलों को सुना है और पेपर बुक का और प्रतिवादी नं. 3 की बात का भी उपयोग किया, जिसके प्रासंगिक पैरा को यहां देखा गया और न्यायालय में उत्पादित दस्तावेजों का भी उपयोग किया गया है, जो कि क्रमशः चिह्नित है। हमारी राय है कि याचिकाकर्ता रीडर आदि के रूप में पिछली सेवा के लाभ का हकदार हैं और परिणामस्वरूप पाठक से प्रोफेसर के चयन / पदोन्नति का हकदार होगा और तदनुसार वेतनमान के निर्धारण का भी हकदार होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का लगातार यह कहना है कि पैरा 8 में इसके द्वारा व्यक्त दृश्य को किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से, 30 अप्रैल, 2004 को सिंडिकेट बैठक द्वारा पारित संकल्प के मद्देनजर रीडर से प्रोफेसर तक पदोन्नति के लिए पिछली सेवा की गिनती की जाएगी। यह स्पष्ट है कि किसी अन्य विश्वविद्यालय / संगठन में प्रदान की गई पिछली सेवा गिनती के लिए उत्तरदायी होगी । वह स्टैंड कि 23 जनवरी, 2003 से गिनती प्रभावी होगा,योग्य नहीं है।यह दृष्टिकोण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सामग्री या पैरा 8 के रुख पर आधारित है, पिछली सेवा को गिना जाना चाहिए, बशर्ते सेवा में कोई विराम न हो।यह देखा जा सकता है कि यद्यपि "रीडर" शब्द का पैरा में उल्लेख नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्तर द्वारा इसे स्पष्ट किया है, – वाईड पत्र दिसंबर, 2000, अनुलग्नक पी -13 की प्रतिलिपि। जिसका अंश ऊपर यहाँ देखा गया है।

(21) हमने 23 सितंबर, 2003 के संचार का उपयोग किया है,जो 13 मार्च, 2003 और 22 मई, 2003 के पत्रों को अधिगृहीत करने में जारी किया गया है, जो यह नहीं दर्शाता है कि 23 जनवरी, 2003 का निर्णय उक्त संचार से दब गया। सिंडिकेट का संकल्प विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के आधार पर 23 जनवरी, 2003 से प्रभाव में आएगा।

(22) याचिकाकर्ता के वकील ने माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय डॉ. शारदेंदु भूषण *बनाम* नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर और अन्य (1), पर निर्भरता दिखाई है,जिसमें यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि, अपीलकर्ता को इसलिए इनकार नहीं किया जाएगा की उसने व्याख्याता के रूप में नागपुर विश्वविद्यालय से जुड़े किसी कॉलेज में सेवा प्रदान की है,

(1) AIR 1988 S.C. 335

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के तहत व्याख्याता (वरिष्ठ वेतनमान) के विशेष ग्रेड और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत के लिए यह अनुचित होगा।

इस मामले में, यह कहीं नहीं कहा गया है कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद में पदोन्नति के लिए, 8 साल का अनुभव, उसी विश्वविद्यालय में होना चाहिए। पाठक के रूप में अनुभव पर ज्यादा जोर दिया गया और उक्त शिक्षण अनुभव कहीं भी प्रदान की जा सकती है। पैरा 8 में एक विशेष संदर्भ पर जोर दिया गया है कि शिक्षण का अनुभव जरूरी है न कि स्थान।

(23) उपरोक्त के मद्देनजर, हम इस विचार पर हैं कि याचिकाकर्ता विभिन्न विश्वविद्यालयों / संगठनों में पाठक आदि पिछली सेवा के हकदार हैं। क्योंकि शिक्षण अनुभव पर जोर दिया गया है न कि उसी विश्वविद्यालय में पद धारण करने पर।

(24) नतीजतन, याचिका को अनुमति दी गई है और प्रतिवादी-विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता के पदोन्नति के लिए कानून के प्रावधानों के अनुसार निर्देशित किया जाता है और इसके लिए अन्य विश्वविद्यालयों में रीडर आदि के रूप में उनके अनुभव की गिनती की जानी चाहिए । यह आगे देखा गया है कि जहां भी याचिकाकर्ताओं को संशोधित वेतनमान में रखा होना है उसके लिए रीडर के रूप में प्रदान की गई सेवा पर विचार के बाद कानून के अन्य प्रावधान के अनुसार दी जाए।

(25) हमें सूचित किया गया था कि कुछ याचिकाकर्ता को प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया था लेकिन वे योग्य नहीं थे।यदि ऐसा है तो ऐसे याचिकाकर्ता *(रों) को* एक बार फिर से 8 साल के अनुभव के अनुसार अब तक की शर्तों के हिसाब से नियुक्ति के लिए देखा जाना चाहिए। यदि चयन के समय वरिष्ठता निर्धारित कि जा सकती है, तो वही कानून के अनुसार की जानी चाहिए। इसकी सराहना की जाएगी यदि पूरे अनुभव को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर किया जाता है। इस लागत का कोई आदेश नहीं।

आर. एन. आर.

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नीतिका बांसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा